

2514

(44)

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013

Order

Dated Shimla-171002, the

Sub :- Diversion of 0.093 hectares of forest land in favour of H.P. Tourism Department for the construction of Toilet at Ghatta, within the jurisdiction of Jogindernagar Forest Division Distt. Shimla, H.P. Mandi HP

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB508/2012-CHA दिनांक 29.07.13 के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 0.093 hectare वन भूमि को Distt. Tourism Development Officer Mandi, को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

कम से कम वृक्ष कटवाये जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दो वृक्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार 53A/13/NW Land Bank में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 30,028/- (तीस हजार अट्ठाईस मात्र) की राशि से कुल 0.19 हैक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।

साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिये सभी सुरक्षा ऊपाय / पूर्व ऊपाय दृढ़तापूर्वक किये जायेंगे।

सीमेंट कंकरीट के खम्भों जिन पर आगे तथा पीछे कम संख्या तथा एक खम्बे से दूसरे खम्बे की दूरी अंकित हों, प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा परियोजना खर्च पर पट्टे क्षेत्र का सीमांकन किया जाये।

No labour camp shall be established on the forest land.

The User Agency shall provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.

The user agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the flora and fauna available in the area.

वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

यदि कोई अन्य संबंधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

उपरोक्त निर्माण में जो भी वृक्ष आयेगें उन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा हटया जायेगा।

-2-

SPC

SPC (F)

9/19

9/19

24/7

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA)

Dated, Shimla-171001 the, 9-9-13.

Copy is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31 -A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer -cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001
5. The Deputy Commissioner, Manda, Distt, Mandi, Himachal Pradesh.
6. District Tourism Development Officer Mandi, Distt. Mandi, HP.
7. CCF, Mandi /DFO, Jogindernagar Forest Division, Distt. Mandi, H.P.
8. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.